

	कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)
दर परिपत्र स. 01(मालभाड़ा)/2017	Rates Circular No.01(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/FIS/Policy /Pt.II/EC

दिनांक / Date: 03/01/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मुख्याधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म. रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM

मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,

महाप्रबंधक, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Liberalized Automatic Freight Rebate Scheme for traffic loaded in Traditional Empty Flow Directions (TEFD).

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's Rates Circular No. 29 of 2016 dated 29.12.2016.

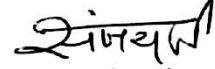
(ii) This office Rates Circular No. 219(G)/16.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TCR/1078/2015/05 Pt.I दिनांक 30/12/2016 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd..2..

- 1.0 In terms Rates Circular under reference guidelines have been issues for Liberalized Automatic Freight Rebate Scheme for Traffic Loaded in Traditional Empty Flow Directions. Please refer to Para 1.7 (iii) Note 2 which stipulates that in case of those commodities which are in brackets, discounted freight at Class -LR1 (trainload) and Class -100 (wagonload) will be charged only when the monthly benchmark loading of those commodities is crossed. The benchmark loading for the commodity mentioned in brackets shall be total NTKM of that commodity in the O-D pair during the corresponding month of previous year.
- 2.0 The matter has been reviewed and it has been decided that the benchmark loading for the commodity mentioned in brackets shall be total tonnage of that commodity in the O-D pair during the corresponding month of previous year.
- 3.0 The instructions of Para 2.0 above will operative for period from 01.01.2017 to 31.01.2017 only.
- 4.0 All other details of the Rates Circular under reference will continue to apply unchanged.
- 5.0 This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।


 (एस. एम. गोन्डाने)
 उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य
 कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक